

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास (म0प्र0)

क्रमोंक-119/28

देवास दिनांक- 29.04.2028

:- रिमाण्ड ड्यूटी आदेश :-

मैं भारत सिंह कनेत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास मध्य भाग न्यायालय की धारा 13(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह मई एवं जून 2028 में अपने कार्यालय सार्वजनिक अवकाश में रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य समायोजन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को उनके न्यायालय कक्ष में सायं 3 से 5 बजे तक कार्य सम्पन्न करने हेतु आदेशित करता हूँ :-

मुख्यालय देवास

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2028	जून 2028
1	श्रीमती पूर्णिमा कोठे राजन, जे.एम.एफ.सी.	17	-
2	श्रीमती दीक्षा मौर्य, जे.एम.एफ.सी.	-	21
3	श्रीमती नेहा पाराशर, जे.एम.एफ.सी.	27	-
4	श्री कुँवर युवराजसिंह, जे.एम.एफ.सी.	2	-
5	श्री अभिजीत सिंह, जे.एम.एफ.सी.	16	28
6	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी.	1, 3	-
7	सुश्री नेहा उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी.	10	28
8	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी, जे.एम.एफ.सी.	-	6, 14
9	श्रीमती चंद्रा पंवार, जे.एम.एफ.सी.	24	20
10	सुश्री मोनिता वानखेड़े, जे.एम.एफ.सी.	31	7

तहसील मुख्यालय सोनकच्छ

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2028	जून 2028
1	श्री दशरथ सिंह मिड़े, जे.एम.एफ.सी.	1, 2, 10	6, 7
2	श्रीमती परिधि गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.	3, 16, 17	14, 20
3	सुश्री प्राची गुणवान, जे.एम.एफ.सी.	24, 27, 31	21, 28, 29

तहसील मुख्यालय टोंकखुर्द

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2028	जून 2028
1	श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी.	मातृत्व अवकाश पर है।	
2	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	1, 2, 3, 10	6, 7, 14, 20, 21, 28, 29

तहसील मुख्यालय बागली

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2028	जून 2028
1	श्रीमती बबीता प्रजापत, जे.एम.एफ.सी.	10, 16, 17, 24	28
2	सुश्री रीना शर्मा, जे.एम.एफ.सी.	31	6, 7, 20, 21
3	सुश्री निशा कुरावाड, जे.एम.एफ.सी.	1, 2, 3, 27	14, 28

तहसील मुख्यालय कन्नीद

क्र	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2028	जून 2028
1	श्रीमती रुधा उईके, जे.एम.एफ.सी.	1, 2, 3	6, 7
2	श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी.	10, 16, 17	14, 28
3	श्री कुंदन कछवाह, जे.एम.एफ.सी.	24, 27, 31	20, 21, 28

तहसील मुख्यालय खातेगांव

क्र	पीठासीन अधिकारी का नाम	मई 2028	जून 2028
1	श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी.	1, 2, 3, 10,	6, 7, 14
2	सुश्री तनिष्का वैष्णव, जे.एम.एफ.सी.	16, 17, 24, 27, 31	20, 21, 28, 28

नोट-

1. उपरोक्त दर्जित तिथियों में मजिस्ट्रेट, कर्मचारियों सहित दिन में 3 बजे से 5 बजे तक न्यायालय में कार्य संपादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य संपन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे मुख्यालय अथवा तहसील में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त कार्य करवा और मुख्यालय अनुमति मिलने पर वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में इस न्यायालय का सूचन करने के पश्चात ही मुख्यालय प्रस्थान करेंगे। मध्य में कोई शासकीय अवकाश घोषित होने पर उक्त दिवस का आकस्मिक कार्य मुख्यालय देवास में माह मई में सुश्री मोनिता वानखेडे, माह जून में श्रीमती रुधा उईके जे.एम.एफ.सी., सानकच्छ में माह मई में सुश्री प्राची गुनवाण जे.एम.एफ.सी., माह जून में श्रीमती मनेछे गुप्ता जे.एम.एफ.सी., टोंकखुर्द में माह मई एवं जून में सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी., बगली में माह मई में सुश्री रीना शर्मा जे.एम.एफ.सी., माह जून में सुश्री निशा कुशवाह, जे.एम.एफ.सी., कन्नीद में माह मई में श्री कुंदन कछवाह जे.एम.एफ.सी., माह जून में श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी. एवं खातेगांव में माह मई में सुश्री तनिष्का वैष्णव, जे.एम.एफ.सी. माह जून में श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा संपादित किया जावेगा। रिमांड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी के द्वारा सी.जे.एम. को लिखित सूचना दी जाकर अनुमति उपरांत ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।

2. यदि कोई मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग पर जाते हैं अथवा आकस्मिक अवकाश पर रहते हैं तो उक्त ट्रेनिंग अवधि/आकस्मिक अवधि में रिमांड ड्यूटी का प्रभार वैसे ही रहेगा जैसे कार्यदिभाजन पत्रक अनुसार उक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश अवधि में जाते समय प्रभार में रहता है।

3. उक्त अवधि के दौरान किसी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने पर उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का सारादन पदउत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एवं पद रिक्त रहने की दशा में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

4. उक्त सार्वजनिक अवकाशों में सुश्री आयुषी श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोंकखुर्द जिन सार्वजनिक अवकाशों के दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाश पर हैं उक्त दिनांकों में रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन सानकच्छ न्यायालय में उक्त दिनांक को आदेशानुसार उपस्थित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त सुश्री आयुषी श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोंकखुर्द के रिमाण्ड ड्यूटी न कर पाने की दशा इस न्यायालय को पूर्व में सूचित करेंगी तथा अनुमति उपरांत ही मुख्यालय से बाहर रहगी तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन सानकच्छ न्यायालय में उक्त दिनांक को आदेशानुसार उपस्थित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा। सुश्री आयुषी श्रीवास्तव द्वारा अनुपस्थिति की सूचना संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सानकच्छ को भी प्रेषित की जावेगी।


 (भारत सिंह कनेल)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 जिला देवास